HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13659/2024

1. Lakhpat S/o Shri Bhartu, R/o Dabar, Police Station Karanpur, District Karauli (Rajasthan) (The Accused Petitioner Presently Confined In District Jail, Karauli).
2. Lakhan S/o Shri Bhartu, R/o Dabar, Police Station Karanpur, District Karauli (Rajasthan) (The Accused Petitioner Presently Confined In District Jail, Karauli).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Sharma, Add. G.A. with Ms. Neha Goyal

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

20/12/2024

प्रार्थीगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना करनपुर, जिला–करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 39/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 पीडीपीपी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त लाखन के विरूद्ध कोई विशेष उपहति कारित करने का आक्षेप प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है तथा प्रार्थी–अभियुक्त लखपत के विरूद्ध आग्नेयास्त्र चलाने का आक्षेप है, परन्तु किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की चोट कारित नहीं हुई है और न ही प्रार्थी लखपत से आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। प्रकरण में आहत रामधन को चोटें कारित होना बताया गया है, परन्तु आहत को कारित सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं और उक्त चोटें प्रार्थी

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020930492024/truecopy/order-1.pdf

लाखन द्वारा कारित किया जाना भी नहीं बताया गया है। सहअभियुक्त ठण्डी को दिनांक 22.07.2024 को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है तथा प्रार्थीगण का मामला उससे भिन्न नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त लखपत व लाखन क्रमशः 07.10.2024 व 02.10.2024 दिनांक से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। अभियुक्तगण के विरूद्ध जो प्रकरण लम्बित होना बताया गया है, वे इसी घटना से संबंधित है, अन्य कोई पूर्व का आपराधिक प्रकरण उनके विरूद्ध संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि गांव में अवैध शराब की एक पिकअप आने की सूचना मिलने पर पुलिस पूछताछ करने गई थी, तो प्रार्थी–अभियुक्तगण ने पुलिस पर हमला किया और आग्नेयास्त्र से फायर किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। प्रार्थी–अभियुक्तगण का मामला सहअभियुक्त ठण्डी से भिन्न है। प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 पीडीपीपी अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी–अभियुक्त लाखन पर कोई विशेष उपहति कारित करने का आक्षेप नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त लखपत के विरूद्ध आग्नेयास्त्र चलाने का आक्षेप है, परन्तु किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की चोट कारित नहीं हुई है और न ही प्रार्थी लखपत से आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। आहत रामधन को कारित सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। सहअभियुक्त ठण्डी को दिनांक 22.07.2024 को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त लखपत व लाखन क्रमशः 07.10.2024 व 02.10.2024 दिनांक से अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण के विरूद्ध जो प्रकरण लम्बित हैं, वे इसी घटना से संबंधित होना बताया गया है, अन्य कोई पूर्व का आपराधिक प्रकरण उनके विरूद्ध संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना,

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020930492024/truecopy/order-1.pdf

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक–एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो–दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /04

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020930492024/truecopy/order-1.pdf